राष्ट्रीय बीज निगम लिमिटेड
NATIONAL SEEDS CORPORATION LIMITED

(भारत सरकार का उपक्रम)
केन्द्रीय राज्य फार्म, जैतसर
जिलाः अनूपगढ, राजस्थान – 335702
सी.आाई.एनः यू74899डीएल1963जीओआई003913
(आईएसओ 9001:2015 व 14001:2015 प्रमाणित कम्पनी)

(A Government of India Undertaking)
CENTRAL STATE FARM, JETSAR
Dist. Anupgarh , Rajasthan-335702
CIN:U74899DL1963GOI 003913
(An ISO 9001:2015 & 14001:2015 Certified Company)

दूरभाष / **Phone:01498-61202,**
वेबसाईट / **Website:** www.indiaseeds.com ईमेल / **E-mail-** csf.jetsar@indiaseeds.com

पत्रांकः के.रा.फा. / जैत. / कृषि / 10–18 / 2024–25 / **दिनांकः 01.05.2024**

अल्पकालीन निविदा सूचना

सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि केन्द्रीय राज्य फार्म, जैतसर (राजस्थान) मे खरीफ 2024, रबी 2024–25 जायद 2025 मे फार्म के तीनों खण्डों व उद्यान मे मुख्य कृषि कार्य जैसे पलेवा, निराई–गुड़ाई, खालों की सफाई, रोगिंग, खाद एवम् रसायनों के छिड़काव, फेंसिग एरिया के आसपास की सफाई व अन्य कृषि कार्यों को ठेके के आधार पर करवाने हेतु इच्छुक ठेकेदारों से दिनांक 15.05.2024 को दोपहर 2:00 बजे तक अल्पकालीन निविदा आमंत्रित की जाती है। जो उसी दिन दोपहर 2:30 बजे खोली जाय उपरोक्त कार्य के लिए प्रति कार्य धरोहर राशि अखरे रूपये 5,000 / – (पांच हजार रुपये) एवं निविदा प्रपत्र शुल्क रुपये 236/- (Rs.200/- + GST charge 18%) जो नेशनल सीडस कारपोरेशन लिमिटेड, जैतसर के पक्ष में भारतीय स्टेट बैक, बाजूवाला *(IFSC कोड नम्बर SBIN0008251, खाता संख्याः 4153 2435 884)*/NEFT/RTGS/Online **पर जमा करना होगा। निविदा प्रपत्र का विक्रय दिनांक 15.05.2023 को दोपहर 01:00 बजे तक किया जा सकता है। नियम एवम् शर्तो की जानकारी निगम की वेबसाईट** www.indiaseeds.com ***पर देखी जा सकती हैं।***

प्रभारी उत्पादन
कृते फार्म प्रमुख

(मुख्य कृषि कार्यो के लिए नियम व शर्ते)

1. प्रत्येक निविदादाता को निविदा में भाग लेने से पूर्व प्रति कार्य धरोहर राशि अखरे रूपये 5,000/– (रू0 पांच हजार मात्र) भारतीय स्टेट बैक, बाजूवाला *(IFSC कोड नम्बर SBIN0008251, खाता संख्या: 4153 2435 884)* /NEFT/RTGS /Online पर जमा करना होगा।
2. फार्म के प्रत्येक मुरब्बे में फार्म अधिकारी/खण्ड प्रभारी/चक प्रभारी के निर्देशानुसार सिंचाई/पलेवा करने का कार्य आऊट–लेट की क्षमता के अनुसार करना होगा।
3. फार्म क्षेत्र में फार्म अधिकारी/खण्ड प्रभारी/चक प्रभारी के निर्देशानुसार रसायनिक उर्वरकों का छिड़काव/बुरकाव करने का कार्य निर्धारित मानकों के अनुसार करना होगा।
4. निविदादाता को फार्म मे आवश्यकतानुसार फार्म अधिकारी/खण्ड प्रभारी/चक प्रभारी के निर्देशानुसार मुरब्बे में निराई–गुड़ाई का कार्य गुणवता युक्त समय पर करना होगा।
5. निविदादाता को फार्म मे आवश्यकतानुसार फार्म अधिकारी/खण्ड प्रभारी/चक प्रभारी के निर्देशानुसार खाळों–नालों की सफाई का कार्य निर्धारित मापदण्डों मे अनुसार करना होगा।
6. निविदादाता को फार्म मे आवश्यकतानुसार फार्म अधिकारी/खण्ड प्रभारी/चक प्रभारी के निर्देशानुसार खड़ी फसलों मे रोगिंग का कार्य गुणवता के अनुरूप समय पर कराना होगा।
7. निविदादाता द्वारा सभी प्रकार के कृषि कार्यो को समय पर करवाने के लिए पर्याप्त संख्या मे मजदूरों की व्यवस्था करनी होगी।
8. बीज उत्पादन के लिये पृथक करण ,रोगिंग आदि निर्धारित मापदण्डों के अनुसार करनी होगी।
9. विभिन्न प्रकार के कार्यो के दौरान किसी भी प्रकार की जन–धन की हानि एंव दुर्घटना की वैधानिक व संपूर्ण जिम्मेवारी ठेकेदार की होगी। फार्म का किसी भी प्रकार का कोई दायित्व नही होगा। ठेकेदार द्वारा लगाये गये श्रमिकों को देय मजदूरी ई0पी0एफ0 दुर्घटना मुआवजा तथा समस्त वैधानिक देनदारी व दायित्व ठेकेदार की ही होगी। यदि फार्म को किसी मामले में ठेकेदार की ओर से उस दायित्व निर्वाह में कोई भुगतान करना पड.ा तो फार्म मय हर्जे खर्चे के उसे ठेकेदार को देय धनराशियों से काटने अथवा समायोजित करने को स्वतंत्र होगा।
10. संबंधित प्रक्षेत्र पर पशुधन रखने एवं अन्य कियाओं की अनुमति नहीं होगी।
11. ठेकेदार को ठेके के किसी भी कार्य को सबलेट करने का अधिकार नही होगा।
12. ठेकेदार को अपना पेन कार्ड न.0 देना होगा। नियमानुसार टी0डी0एस0 भी काटेगा।
13. निविदादाता द्वारा कार्य संतोषजनक ढंग से नही करने पर ठेका बीच में निरस्त किया जा सकता है।
14. ठेकेदार का संबन्ध केवल कृषि कार्य से रहेगा ।
15. ठेके के क्षेत्र में ठेकेदार द्वारा कोई स्थाई निर्माण व अन्य किसी प्रकार की गतिविधियां (फार्म द्वारा प्रदत कार्यो के अतिरिक्त) नही होगा।
16. निविदादाता द्वारा दी गई सशर्त निविदा मान्य नहीं होगी।
17. निविदा खोलने के बाद किसी प्रकार की निविदा एवम् फैक्स व पत्र/ईमेल मान्य नहीं होगा।
18. ठेकेदार संबंध केवल कृषि कार्यो से संबंधित होगा, वह अन्यत्र असम्बन्धित गतिविधियां,कार्यकलापों में व्यवधान/हस्तक्षेप, आग जलाना,मवेशी पालना, कोई निर्माण कार्य या फार्म के संसाधन का अनाधिकृत प्रयोग आदि समस्त कार्य जो भी उसके ठेके से सम्बन्धित न हो, उनमें परोक्ष या अपरोक्ष रूप से संलिप्त होने का अधिकार नही होगा। ऐसी गतिविधियों में संलिप्त पाये जाने पर फार्म प्राधिकारी द्वारा निश्चित किया गया जुर्माना अदा करना होगा तथा/अथवा उसका ठेका निरस्त कर उसका फार्म में प्रवेश निषेध किया जा सकता है तथा इस दशा में उसकी समस्त जमा राशियां व बिल राशि जब्त कर ली जायेगीं।
19. ठेकेदार द्वारा सभी कार्य फार्म अधिकारी/खण्ड प्रभारी/चक प्रभारी के निर्देशानुसार ही करने होगे।
20. ठेके की अवधि के दौरान ठेकेदार अथवा उसके कामगारों द्वारा फार्म की किसी भी चल/अचल सम्पति तथा फसलों को नुकसान किया तो उसकी भरपाई ठेकेदार से की जायेगी तथा उसका ठेका रद्द कर दिया जायेगा।
21. ठेकेदार या उसके प्रतिनिधि द्वारा फार्म में किसी प्रकार का शिकार या जंगली जानवरों को मारने, घायल करने या परेशान करने का कार्य निषिद्ध है। ऐसा करने पर वे स्वंय जिम्मेदार होगें तथा कानून के अनुसार दण्ड के भागी होगें।
22. ठेकेदार द्वारा फार्म के नियम व शर्तो की पालना नहीं करने पर उसका ठेका रद्द कर दिया जायेगा तथा ठेकेदार की धरोहर राशि व अन्य जमा राशि जब्त कर ली जायेगी।
23. निविदादाता द्वारा अपने पहचान पत्र/राशन कार्ड तथा पैन कार्ड की छाया प्रति संलग्न करनी होगी। अपूर्ण पते के अभाव मे यदि कोई पत्र आदि सूचना निविदादाता के पास नहीं पहुंचती है तो फार्म की जिम्मेदारी नहीं होगी।

24. फार्म प्राधिकारी को निविदा को बिना कारण बताये अस्वीकृत/निरस्त करने का पूर्ण अधिकार होगा।

25. यदि ठेकेदार का आचरण उचित न हो या फार्म के हित में न हो तथा उसे बार बार चेतावनी देने पर भी वह ठेके की शर्तों का पालन न करता हो तब ऐसी दशा में फार्म प्राधिकारी को अधिकार होगा कि ठेके को निरस्त कर ठेकेदार को निश्चित अवधि के लिये ब्लैकलिस्ट कर निगम के फार्मो पर ठेके लेने के अयोग्य घोषित कर दें।

26. रू.500/– के स्टाम्प पर नियम व शर्तों का अनुबन्ध मय दो गवाहों के हस्ताक्षर के साथ देना होगा।

27. ARBITRATION

In case any dispute arises between NSC and the other party due to any term or matter, both the parties will opt to resolve it through mutual understanding and discussion. In case, dispute remains even after discussion.Then it shall be binding upon parties to resolve issue under the provisions of Arbitration & Conciliation Act, 1996 as amended from time to time under this provision, the chairman-cum-Managing Director, National Seeds Corporation Limited with the concurrence of both the parties shall appoint sole Arbitrator to resolve the issue and both the parties will have to abide by decision.The parties will bind to resolve this dispute through arbitration before going to court of low. The arbitration shall be conducted at New Delhi and shall in English Language. The Court of Delhi shall have the Jurisdiction.

उपरोक्त सभी शर्ते क्रं.सं. 1 से 27 तक मैने पढ़ ली, सून ली मुझे सभी शर्ते मंजुर है। मैं निर्धारित नियम शर्तों के अनुसार ही कार्य करूंगा।

निविदादाता के हस्ताक्षर

वित्तीय निविदा–प्रपत्र

खरीफ 2024, रबी 2024–25 व जायद 2025 व उद्यान मे करवाये जाने वाले मुख्य कृषि कार्यो, उद्यान/नर्सरी व अन्य मिश्रित कार्यो को ठेके के आधार पर करने के लिए मेरी प्रस्तावित दरें इस प्रकार से है:–

(अ) कृषि कार्यों के लिए:

क्र.सं.	कार्य का विवरण	यूनिट	दर (रूपये मे) (सभी करों सहित)
1	खाला साफ करना	प्रति मीटर	
2	खाला खुदाई करना (6'' से 9'' तक)	प्रति मीटर	
3	पक्के खाले की मिट्टी निकालना किनारे की सफाई करना	प्रति मीटर	
4	माइनर की मिट्टी निकालना एवं माइनर के किनारे की सफाई करना	प्रति मीटर	
5	पलेवा /प्रथम सिंचाई की दर	प्रति एकड	
6	उत्तरगामी सिंचाई की दर	प्रति एकड	
7	फसलों मे कसोला द्वारा गुड़ाई करना	प्रति एकड़	
8	ऊँट द्वारा हल चलाना, निराई गुड़ाई करना	प्रति एकड़	
9	खूँटी हल चलाना	प्रति एकड़	
10	चना, मूंग, मोठ, उडद फसलों मे रोगिंग करना	प्रति एकड़	
11	अन्य फसलों मे रोगिंग करना	प्रति एकड़	
12	हाथ से खाद छिड़कना DAP, UREA,NPK	प्रति एकड़	
13	हाथ से खाद छिड़कना Zypsum, SSP	प्रति एकड़	
14	बीज उपचारित करना	प्रति क्विंटल	
15	खाद बीज उतारना	प्रति क्विंटल	
16	खाद बीज लादना	प्रति क्विंटल	
17	पौधो की सिंगलिंग करना	प्रति पौधा	
18	फसलों मे से काचर बेल उखाड़ना	प्रति एकड़	
19	खड़े पेड़ों के तने पर कील व हथोडी के माध्यम से लोहे की पट्टी लगाना, उस पर परमानेंट मार्कर से नंबर अंकित करना, पेड़ों का प्रजातिवार गर्थवार रिकार्ड बनाकर देना।	प्रति पेड़	
20	पेड़ों के तने पर लगी लोहे की पट्टी पर पूर्व में लगे नंबर को मिटाकर परमानेंट मार्कर से नये नंबर लगाना, पेडों का प्रजातिवार गर्थवार रिकार्ड बनाकर देना।	प्रति पेड़	
21	प्राईवेट ट्रैक्टर द्वारा लम्बी पाइप से फसलों में स्प्रे करना।	प्रति एकड़	
22	चुहों के नियंत्रण हेतु चूहों के गडड़ों में सेलफास डालना व कचरा लगाकर मिट्टी से गड़डों को बन्द करना	प्रति एकड़	
23	मूली ट्रांसप्लांटिग	प्रति एकड़	
24	फार्म के ट्रैक्टर द्वारा लम्बी पाइप से फसलों में स्प्रे करना।	प्रति एकड़	
25	फार्म के ट्रैक्टर द्वारा श्रमिको से फसलों में स्प्रे करना।	प्रति एकड़	
26	फार्म के मशीन द्वारा श्रमिको से फसलों में खाद छिड़कना (एफ.बी.सी.) DAP, UREA,NPK	प्रति एकड़	

27	फार्म के मशीन द्वारा श्रमिको से फसलों में खाद छिड़कना (एफ.बी.सी.) Zypsum, SSP	प्रति एकड़	
28	मूंगफली डिकोर्टिकेशन	प्रति क्विं.	

(ब) उद्यान एंव नर्सरी के लिए :–

क्र.सं.	कार्य का विवरण	1 से 3 वर्ष आयु वर्ग के लिए दर प्रति पौधा	3 वर्ष से अधिक आयु वर्ग के लिए दर प्रति पौधा
1	गड्डा को साइज 3×3×3 फुट वृताकार का खोदना, खाद डालना, मिलाना व गड्डा भरना (छोटे एंव बड़े दोनो के लिए) दर प्रति गढ़ढा		
2	गड्डा को साइज 2×2×2 फुट वृताकार का खोदना, खाद डालना, मिलाना व गड्डा भरना (छोटे एंव बड़े दोनो के लिए) दर प्रति गढ़ढा		
3	1×1×1 फुट साइज का गड्डा खोदना, नर्सरी से पौधो को फार्म साधन से लगाने वाले स्थान पर ले जाकर, पौधा लगाकर उसमे पानी डालना। (जोजोबा आदि के लिए) दर प्रति पौधा/ गढ़ढा		
4	पेड़ो के नीचे बिना जुती जमीन की फावड़े से गुड़ाई करना व तने पर मिट्टी चढ़ना। दर प्रति पौधा		
5	खाद, उर्वरक डालकर फावड़े से गुड़ाई करना व मिट्टी मे मिलाना दर प्रति पौधा		
6	बोडो पेस्ट बनाना, कटाई–छंटाई की गई शाखाओं के कट भाग पर पेन्ट की पुताई करना तथा मुख्य तने पर दो से तीन फुट की ऊंचाई तक पेन्ट करना। दर प्रति पौधा		
7	जट्टी–खट्टी के फलों को तोड़कर, बीज निकालना, क्यारी बनाकर बिजाई करना दर प्रति किलो		
8	पोलीथील की थैली मे खाद, दवा का मिश्रण करना, बनाना, थैली मे भरकर क्यारी मे लाइन से लगाना दर प्रति थैली (बैग)	4′′×10= 6′′×12=	
9	पिन्डी सहित पौधो को नर्सरी से निकालना, घास–फूस से बाँधकर पैकिंग करना दर प्रति पौधा		
10	नर्सरी मे तैयार पौधों को पिन्डी सहित निकालना तथा क्यारी बनाकर लगाना व पानी देना। दर प्रति पौधा		
11	नर्सरी की क्यारी की खुरपी से निराई–गड़ाई करना (10×1 मीटर की क्यारी मे से)। दर प्रति वर्गमीटर		
	नर्सरी में पोलीथिन बैग में लगे पौधों से हाथ व खुरपी की सहायता से निराई-गुड़ाई करना । दर प्रति थैली (बैग)		
12	नींबू प्रजाति व अन्य पौधो को उखाड़कर क्यारी मे बदलना (बीजू व छोटे पौधो को), पानी लगाना। दर प्रति पौधा		
13	तैयार पौधों को नर्सरी से उखाड़ना, पैक करना व लगने वाले स्थान पर बाग मे लगाना। दर प्रति पौधा		
14	खजूर के पौधों की कटाई–छंटाई कर पत्तियों को खेत से बाहर करना/जलाना। दर प्रति पौधा		
15	ट्रक से पौधो को उतारना/चढ़ाना दर प्रति पौधा		
16	जोजोबा के पौधों से फल एकत्रित कर बीज निकलना एवं सफाई करना । दर प्रति किलो		
17	नयी क्यारी 10X1 मी. आकार की बनाकर तैयार करना ।		
18	छोटे बीजू पौधों को क्यारी/ पोलीथीन बैग में शिफ्ट करना।		

19	पोलीथीन बैग में तैयार किये पोधों को एक क्यारी से दूसरी क्यारी में शिफ्ट करना । दर प्रति पौधा		
20	बडिंग/ग्राफ्टिंग किये गये पौधों को क्यारी बनाकर शिफ्ट करना । दर प्रति पौधा		
21	खजूर के अतिरिक्त अन्य विभिन्न उद्यानिकी पौधों की आवश्यकतानुसार कटाई-छटाई करना । दर प्रति पौधा		
22	फार्म में उपलब्ध विभिन्न उद्यानिकी/वानकी पौधों से 6-9 इंच तक की कटिंग काटना । दर प्रति कटिंग		
23	नर्सरी में उपलब्ध विभिन्न उद्यानिकी/वानकी पौधों की कटिंग को तैयार क्यारी में/तैयार पोलीथीन बैग में लगाना । दर प्रति कटिंग		
24	नर्सरी में उपलब्ध विभिन्न उद्यानिकी/वानकी पौधों के बीजों को तैयार क्यारी में/तैयार पोलीथीन बैग में लगाना । दर प्रति बैग		
25	फार्म में उपलब्ध विभिन्न उद्यानिकी/वानकी पौधों से बड/ग्राफ्ट काटना एवं नर्सरी में तैयार मूलवृन्त पर बडिंग/ग्राफ्टिंग करना । दर प्रति पौधा		
26	बाग़ में फलदार पौधों की डिसबडिंग करना । दर प्रति पौधा		
27	नर्सरी/बाग/पार्क दैनिक रख रखाव कार्य/अन्य कार्य जैसे कि नर्सरी में बडिंग/ग्राफ्टिंग किये गये पौधों की समय-2 पर कटाई छटाई करना, पौधों को हजारे से पानी देना, विभिन्न खाद, उर्वरक, रसायनों का छिड़काव/भुरकाव करना, फार्म उपलब्ध विभिन्न उद्यानिकी/वानकी पौधों के बीजों को एकत्रित करना, फुलवारी की नर्सरी तैयार करना, नर्सरी/बाग में लगे पौधों की प्रतिकूल मौसम के विपरीत प्रभाव से बचाने के लिए किये जाने वाले विभिन्न उपायों के लिय कार्य करना, अन्य कार्य जो भी नर्सरी/बाग/पार्क दैनिक रख रखाव हेतु आदि के किये Piece Rate Worker (PRW) दर प्रति दिन		

अतः आपसे निवेदन है कि मुझे प्रस्तावित दरों के अनुसार कार्यादेश जारी करने का श्रम करें। मै निर्धारित नियम व शर्तो के अनुसार कार्य करूगां।

निविदादाता के हस्ताक्षर...

नाम व पताः–..

...

मोबाईल नं.ः–..